नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण,
1001, 10वीं मंजिल, भीकाजी कामा भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली

संख्या ननिप्रा/सम्पर्क न.दि./वाहन नीलामी/201011/ 22 जुलाई 2010

वाहन की नीलामी हेतु निविदा सूचना

अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की ओर से सहायक निदेशक(सिविल),ननिप्रा. एक वाहन (वर्तमान हालात में जैसी है) नीलामी द्वारा विक्रय करने हेतु 16 अगस्त 2010 को अपराह्न 4.00 बजे तक मुहरबंद निविदा/कोटेशन आमंत्रित करते हैं । वाहन का विवरण बयाना राशि जमा एवं न्यूनतम लगाई जाने वाली बोली आदि के संबंध में विवरण निम्नानुसार है । निम्न बयाना राशि जमा निविदा/कोटेशन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है :–

सरल कमांक	वाहन का नाम एवं मॉडल	रजिस्ट्रेशन नं.	वाहन की किस्म	न्यूनतम मूल्य	बयाना राशि जमा
1.	एम्बेसेडर कार मॉडल–1993	DL-9C-8284	पैट्रोल	रू.15000/–	रू.500/–

निविदा सूचना निंबंधन एवं शर्तों से संबंधित प्रपत्र बिना कोई मूल्य चुकाए सहायक निदेशक (सिविल) से नई दिल्ली–110066 स्थित उनके कार्यालय 1001, 10वीं मंजिल भीकाजी कामा भवन,भीकाजी कामा प्लेस से प्राप्त कर सकते हैं । इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी 13 अगस्त,2010 तक कार्यालयीन दिवसों में सोमवार से शुक्रवार (घोषित सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त) पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 05 बजे के मध्य कार्यालय में कभी भी आकर वाहन की स्थिति का निरीक्षण कर सकते है। प्राप्त हुई निविदाएँ 16 अगस्त 2010 को अपराह्न 05 बजे खोली जायेगी । बयाना राशि जमा' डिमान्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद के रूप में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के पक्ष में देय' के रूप में जमा करनी होगी
वाहन के नीलामी की निविदा सूचना ननिप्रा. की वैबसाईट www.nca.gov.in में देखी जा सकती है ।

हस्ताक्षर
सहायक निदेशक(सिविल)

- निर्बन्धन एवं शर्तें :

1. वाहन जैसी हालात में है उसी स्थिति के आधार पर खरीदा जायेगा, नर्मदा नियंत्रण–प्राधिकरण (ननिप्रा.) उक्त वाहन पर अलग से कोई व्यय नहीं करेंगा ।
2. बयाना राशि जमा जैसाकि उपरोक्तानुसार उल्लेखित किया गया है ,केवल डिमान्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद के रूप में किसी अनुसूचित बैंक से बनवाया हुआ, ननिप्रा. इंदौर म.प्र. के पक्ष में देय हो, होना आवश्यक है, ऐसा नहीं पाए जाने की स्थिति में निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
3. व्यक्ति/एजेन्सी द्वारा उक्त वाहन की लगाई गई उच्चतम बोली को सफल निविदाकार के रूप में समझा जायेगा ।
4. सफल बोलीकर्ता/निविदाकार को अपनी लगाई गई बोली की सम्पूर्ण राशि ननिप्रा, नई दिल्ली स्थिति कार्यालय द्वारा स्वीकृति पत्र के जारी होने की तारीख से आगे के दस दिवसों के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पक्ष में देय बनवाकर जमा करनी होगी ।
5. यदि एजेन्सी/व्यक्ति निविदा में लगाई गई बोली राशि को उक्त निर्धारित अवधि के अंतर्गत जमा नहीं करेंगे तो उनकी बयाना राशि जमा जब्त कर ली जायेगी ।
6. वाहन के सफल निविदाकार अपने स्वयं के खर्चे पर एवं बीमा से संबंधित कागजात दिखाने पर एवं वाहन का भुगतान कर दिए जाने की तारीख से 10 दिन के अंतर्गत ननिप्रा. के कार्यालय से वाहन ले जायेगें तथा वचन भी देंगे कि एजेंसी/व्यक्ति के नाम से वाहन का रजिस्ट्रेशन हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने से पूर्व यदि वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होंगे तथा ननिप्रा. नीलाम की गई इस वाहन से हुई दुघर्टना के प्रति कोई दायित्व नहीं रखेंगे ।
7. वाहन की बिक्री कर दिए जाने के पश्चात यह क्रयकर्ता का दायित्व है कि वो अपने नाम से वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा ले/क्रयकर्ता के नाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करवाए बिना उक्त वाहन को चलाए जाने की पात्रता नहीं होगी ।
8. सक्षम अधिकारी के पास कोई भी अथवा सभी निविदा बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

हस्ताक्षर
सहायक निदेशक(सिविल)
ननिप्रा., नई दिल्ली